



UTTARAKHAND PUBLIC SERVICE COMMISSION

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

हरिद्वार—249404

संख्या: 373/01/डी0आर0(डिग्री)/सेवा-2/2021-22

दिनांक 16 फरवरी, 2024

साक्षात्कार—ज्ञाप

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय) चयन—2021 के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर वाणिज्य (Commerce), असिस्टेंट प्रोफेसर हिन्दी (Hindi), असिस्टेंट प्रोफेसर गृह विज्ञान (Home Science) तथा असिस्टेंट प्रोफेसर गणित (Mathematics) पदों के अर्ह अभ्यर्थियों हेतु साक्षात्कार दिनांक 06, 07, 12, 13, 14, 15, 18 एवं 19 मार्च, 2024 के पूर्वाहन् 09:30 बजे एवं अपराह्न 12:30 बजे निर्धारित किया गया है। इस संबंध में विषयवार एवं अनुक्रमांकवार साक्षात्कार कार्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित किया गया है।

2. इस साक्षात्कार ज्ञाप के साथ वेबसाइट पर निम्नलिखित प्रपत्र उपलब्ध कराये जा रहे हैं, जिन्हें अभ्यर्थी डाउनलोड कर पूर्ण रूप से भरकर समर्त प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ साक्षात्कार के दिन अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे— (क) विस्तृत आवेदन—पत्र (**Detailed Application Form**) (प्रपत्र संख्या—02) (ख) प्रमाणीकरण—प्रपत्र (**Attestation Form**) (प्रपत्र संख्या—03) (ग) देशना—पत्रक (**Index Card**) (प्रपत्र संख्या—04)। इसके अतिरिक्त चेक लिस्ट एवं नाम में भिन्नता, यदि है तो, इससे संबंधित घोषणा पत्र का प्रारूप भी डाउनलोड करते हुए पूर्ण रूप से भरकर अभिलेखों के साथ प्रस्तुत करेंगे।

3. अभ्यर्थी साक्षात्कार तिथि को निम्नलिखित मूल प्रमाण—पत्र व प्रमाण—पत्रों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रतियाँ आयोग के अवलोकनार्थ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे। मूल अंक—तालिका/प्रमाण—पत्र प्रस्तुत न करने पर अभ्यर्थी को साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जायेगा :—

- (i) हाईस्कूल प्रमाण—पत्र एवं अंक—तालिका।
- (ii) इण्टरमीडिएट प्रमाण—पत्र एवं अंक—तालिका।
- (iii) स्नातक उपाधि एवं अंक—तालिका।
- (iv) स्नातकोत्तर उपाधि एवं अंक—तालिका।
- (v) पी—एच.डी./जे.आर.एफ/नेट/सेट से संबंधित उपाधि/प्रमाण—पत्र।
- (vi) यदि एम०फ़िल का दावा किया गया है तो एम०फ़िल की उपाधि एवं अंक पत्र।
- (vii) रिसर्च पब्लिकेशन।
- (viii) शिक्षण/पोस्ट डॉक्टोरल अनुभव से संबंधित प्रमाण—पत्र।
- (ix) अवार्ड से संबंधित प्रमाण—पत्र।
- (x) अधिमानी अर्हता का दावा किया गया (Preferential Qualifications) हो, तो अधिमानी अर्हता से संबंधित प्रमाण—पत्र।
- (xi) लम्बवत्/क्षैतिज आरक्षण से संबंधित उत्तराखण्ड राज्य के निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण—पत्र।

- (xii) अनारक्षित श्रेणी में उत्तराखण्ड महिला के क्षैतिज आरक्षण का दावा करने वाली महिला अभ्यर्थियों को स्थायी निवास प्रमाण—पत्र।
- (xiii) अभ्यर्थी यदि सरकारी सेवा में सेवारत है तो सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण—पत्र की मूल प्रति /स्वप्रमाणित छायाप्रति।
- (xiv) यदि अभ्यर्थी के नाम अथवा माता—पिता के नाम में विभिन्न प्रमाण पत्रों में एकरूपता न हो, तो उक्त के सम्बन्ध में स्व—घोषणा पत्र।

4. अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार समस्त प्रमाण—पत्रों को क्रमबद्ध कर Paging करें तथा चैक लिस्ट प्रमाण—पत्रों से ऊपर नट्थी (Tag) कर उसमें पृष्ठ संख्या अंकित करते हुये प्रस्तुत करें।

5. साक्षात्कार शुल्क हेतु अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को ₹0 150/- तथा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को ₹0 60/- जमा कर रसीद प्राप्त करनी होगी। दिव्यांग अभ्यर्थियों को शुल्क में छूट प्रदान की गयी है। साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थी पासपोर्ट साइज के नवीनतम चार स्वप्रमाणित फोटोग्राफ अवश्य लेकर आयेंगे।

6. यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु यथावांछित उपर्युक्त शर्तों पूरी नहीं करते हैं, तो आयोग द्वारा अभ्यर्थी को साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि माझे आयोग अंक—तालिकाओं को सम्बन्धित परीक्षा के मूल प्रमाण—पत्र अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं और केवल अंक—तालिकाओं के आधार पर आपको साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। जिन परीक्षाओं के परीक्षाफल हाल में प्रकाशित हुये हों और परीक्षा संस्था (**Examining Body**) ने नियमित प्रमाण—पत्र (**Certificate**) अथवा उपाधि (**Degree**) नहीं दिये हों, उनके लिए औपबन्धिक प्रमाण—पत्र (**Provisional Certificate**) मूल प्रमाण—पत्र के स्थान पर प्रस्तुत करना होगा, जो प्रस्तुत किये जाने की तिथि से छः माह पूर्व से अधिक का न हो।

7. विज्ञापन की शर्तों को पूर्ण न करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन किसी भी स्तर पर आयोग द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

8. आयोग परिसर में मोबाइल फोन, कैमरा तथा अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण लाना निषिद्ध है।

-Sd/
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।